न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट सागर म0 प्र0

लछमन तनय खुमान लुहार उम्र50साल निवासी ग्राम बर्माडॉझ तहसील जतारा जिला टीकमगढ म0 प्र0

......निगरानीकर्ता

वनाम

हीरालाल तनय मन्नू सौर निवासी विलगॉय तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ म0प्र0......उत्तरवादी

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50(संशोधित अधिनियम म0प्र0भू रा0सं0अधिन स्थ विद्वान तहसीलदार जतारा वृत दिगोड़ा तहसील जतारा जिला टीकमगढ म0प्र0 द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 17.8.2012 प्र0क्र0 24/अ 12 /11-12 के विरूद्ध ।

महोदय,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

(1) यह कि निगराकार की कृषिभूमि खसरा नंबर 74/1/1 रकवा1.61 है0 स्थित ग्राम महुआबाग तहसील जतारा जिला टीकमगढ म0प्र0में स्थित है जिसका भूमि स्वामी अधिकार कब्जा के आधार पर निगराकार को वर्ष 1984 में प्राप्त हुआ था तभी से निगराकार बहैसियत भूमि स्वामी के रूप में अपनी भूमि पर काबिज है। निगराकार की कृषिभूमि से लगी हुई उत्तरवादी द्वारा भूमि खसरा नंबर 74/1/6 कृषिभूमि कृय की गई थी। इसप्रकार निगराकार उत्तरवादी का सरहदी कृषक है उत्तरवादी ने उक्त भूमि 74/1/6 विक्रेता से कृय की है उसने बनी ठनी भूमि देखकर निगराकार की भूमि हड़पने का प्रयास किया।और अधिनस्थ राजस्व निरीक्षक हल्का पटवारी तहसीलदार से सांठगांठ कर निगराकार को सूचना दिऐ विना वालां वालां तरीके से कागजो में ही सीमांकन कर लिया। जिसकी जानकारी होने पर अधिनस्थ तहसीलदार जतारा वृत दिगोड़ा के समक्ष - आपत्ति प्रस्तुत की।तहसीलदार जतारा वृत दिगोड़ा द्वारा आपत्ति निरस्त कर दी।उक्त सीमांकन स्वीकृत कर दिया। जिससे व्यथित होकर निगराकार निम्न आधारो पर यह - निगरानी प्रस्तुत कर रहा है :- निगरानी के मुख्य आधार निम्नलिखित हैं :-

(2) यह कि विद्वान अधिनस्थ तहसीलदार जतारा वृत दिगोड़ा द्वारा पारित आलोच्य सीमांकन आदेश नियम,कानून एवं तथ्यों के विपरीत है जो किसी भी दशा में स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** निगरानी-3902-दो/2012 जिला टीकमगढ़ लछमन विरूद्ध हीरालाल

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 04-01-2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br>2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।<br>3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार जतारा वृत दिगोडा के प्रकरण क्रमांक 24/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 17-08-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।<br>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।<br>5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।<br><br>(आर.के. जैन)<br>सदस्य<br>04/01/2019 | |